

सं. 21/82/2013-एम एंड जी


भारत सरकार

गृह मंत्रालय

रन डी सी सी-11 भवन, नई दिल्ली,
दिनांक: 16/1/2014

सेवा में

आचार्य धनंजय कुमार सिंह,
एम ओ बांसडीह (गढ़),
जिला-बलिया,
उत्तर प्रदेश।



17 JAN 2014

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना मांगे जाने के बारे में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर आपके दिनांक 17.09.2013 एवं 17.10.2013 के दो आवेदनों का उल्लेख करना है।

2. इस संबंध में यह उल्लेख किया जाता है कि ऊपर उल्लिखित दिनांक 17.9.2013 का आर टी आई आवेदन इस मंत्रालय में प्राप्त नहीं हुआ है, तथापि, यह राज्य सभा सदस्य के रूप में नामांकित करने के लिए आपके अभ्यावेदन पर की गई कार्रवाई संबंधी सूचना प्राप्त करने हेतु दिनांक 17.10.2013 के आर टी आई आवेदन के साथ संलग्न पाया गया है।

3. इस संबंध में यहां यह उल्लेख करना संगत होगा कि दिनांक 23.04.2013 के सदृश आर टी आई अभ्यावेदन के तहत राज्य सभा में आपके नामांकन के संबंध में अपेक्षित सूचना इस मंत्रालय के दिनांक 6.6.2013 के समसंख्यक पत्र के तहत पहले ही आपको भेज दी गई है। फिर भी इसकी एक प्रति संलग्न है।

4. इस मामले में अपील प्राधिकारी श्री एस. सुरेश कुमार, संयुक्त सचिव (सी एस), गृह मंत्रालय, एन डी सी सी-11 भवन, जय सिंह रोड, नई दिल्ली हैं।

संलग्न : यथोपरि

०/०

भवदीय,

(आशुतोष जैन)

निदेशक (सी एस-11) एवं
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

दूरभाष : 23438147

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :-

श्री एस. सामंत, अवर सचिव, आर टी आई प्रकोष्ठ, गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
को उनके दिनांक 7.11.2013 के का. जा. सं. ए-43020/01/2013-आर टी आई के संदर्भ में।

सेवा में
सचिव गृह मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली

विषय:- राज्य सभा के सदस्य मनोनीत के सन्दर्भ में तथा इस
सन्दर्भ में 2022/आर.टी.आई./02/12-13 राष्ट्रपति सचिवालय
आर.टी.आई. अनुभाग, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली 110004
5 मार्च 2013 के पत्र के सन्दर्भ में मामले निस्तारित होना

महोदय, मैंने राज्य सभा के सदस्य मनोनीत के सन्दर्भ में 22.12.12
सेवा में महाभारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी जी को पत्र के साथ
प्राथमिक पत्र संलग्न करके भेजा था। जिसके सन्दर्भ में सचिन
के अधिकार कानून 2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त हुआ 2022/आर.टी.आई./
02/12-13 आर.टी. अनुभाग राष्ट्रपति भवन 5 मार्च 2013 के पत्र के
सन्दर्भ में यह उत्तर मुझे प्राप्त हुआ है की 22.12.12 के प्रतिवेदन
को सचिव गृह मंत्रालय भारत सरकार को इस सचिवालय के
आई.टी. संख्या 9(7)-सी.ए(1)/2013 दिनांक 18.01.13 द्वारा अग्रेषित कर
दिवा गया है (प्रति संलग्न। जबकि इसके सन्दर्भ में सूचना के अधिकार
कानून 2005 के अन्तर्गत सं. ए-43020/01/2013 आर.टी.आई. आई
भारत सरकार गृह मंत्रालय नई दिल्ली दिनांक 2/05/2013 पत्र में
दर्शा गया है संलग्नक, यशोवति सेवा में संयुक्त सचिव (सी.एस.)
गृह मंत्रालय, रन डी.सी.सी. 11 भवन जय सिंह रोड, नई दिल्ली
प्रति सचिवार्थ प्रेषित आचार्य धनंजय कुमार सिंह मो 04 पो 0 बॉसडी ए (एड)
जिला बलिया उष प्रवृत्तन से अनुरोध है कि इस मामले में
अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने के लिए उपर वर्णित केन्द्रीय
लोक सूचना अधिकारी लोक प्राधिकारी से संपर्क करें। इसी निमन
के अन्तर्गत 14 मई 2013 को पत्र जिसा सेवा संयुक्त सचिव (सी.एस.)
गृह मंत्रालय, रन डी.सी.सी. 11 भवन जय सिंह रोड नई दिल्ली जिसके सन्दर्भ
में कोर्ट उत्तर नहीं मिला। फिर इसके सन्दर्भ में 43020/01/2013 आर.टी.आई.
भारत सरकार गृह मंत्रालय नई दिल्ली दिनांक 2/05/2013 के निर्देशों में
जिसके लिखे नियमानुसार में दिल्ली गया सेवा में संयुक्त सचिव (सी.एस.)
गृह मंत्रालय, रन डी.सी.सी. 11 भवन जय सिंह रोड, नई दिल्ली 22 अगस्त
2013 को मिलने के लिए जिसमें स्वगताधिकारी फोन नं० दिने
011-23438100 JS (CS) 01123438141-50665211) जिसमें कहा गया
की जब वो मिलने को कहेंगे तो मिलने दिया जाएगा यह फोन करने
के लिए दिया गया लेकिन उस दिन इस फोन पर बाहर से बात नहीं
बनी हुआ लेकिन दूसरे दिन बसुन्धरा दिल्ली से अपने दंत
के पही से फोन मिलवया 011-23438100 JS (CS) बात हुआ जिसमें
कहे की यहाँ आने की जरूरत जो काम हो लिखकर दे दो उस पर
मैंने 14 मई 2013 के पत्र के सन्दर्भ में बात किया जो राज्य सभा
में सदन सदस्य मनोनीत के सन्दर्भ में लिखा था जिसमें उन्होंने
कहा फाइल पेंडिंग में है फिर कुछे समय समझ में नहीं आया उसी समय
में फाइल कोताया गया अभी काम नहीं हुआ है कार्य होने पर हमारे
पत्र पर पत्र चला जावेगा।

अतः श्रीमान जी प्राथमिक है की राज्य सभा में
मनोनीत के मामले निस्तारित करने की कृपा करेंगे।
इस पुनित कार्य की आपकी महाम कृपा होगी।
आचार्य धनंजय कुमार सिंह
मो 04 पो 0 बॉसडी ए (एड)
जिला बलिया

(3090)

दिनांक 17-9-2013

राज्य सभा के सदस्य मनोनीत के सन्दर्भ में 22.12.12
सेवा में महाभारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी जी को पत्र के साथ
प्राथमिक पत्र संलग्न करके भेजा था। जिसके सन्दर्भ में सचिन
के अधिकार कानून 2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त हुआ 2022/आर.टी.आई./
02/12-13 आर.टी. अनुभाग राष्ट्रपति भवन 5 मार्च 2013 के पत्र के
सन्दर्भ में यह उत्तर मुझे प्राप्त हुआ है की 22.12.12 के प्रतिवेदन
को सचिव गृह मंत्रालय भारत सरकार को इस सचिवालय के
आई.टी. संख्या 9(7)-सी.ए(1)/2013 दिनांक 18.01.13 द्वारा अग्रेषित कर
दिवा गया है (प्रति संलग्न। जबकि इसके सन्दर्भ में सूचना के अधिकार
कानून 2005 के अन्तर्गत सं. ए-43020/01/2013 आर.टी.आई. आई
भारत सरकार गृह मंत्रालय नई दिल्ली दिनांक 2/05/2013 पत्र में
दर्शा गया है संलग्नक, यशोवति सेवा में संयुक्त सचिव (सी.एस.)
गृह मंत्रालय, रन डी.सी.सी. 11 भवन जय सिंह रोड, नई दिल्ली
प्रति सचिवार्थ प्रेषित आचार्य धनंजय कुमार सिंह मो 04 पो 0 बॉसडी ए (एड)
जिला बलिया उष प्रवृत्तन से अनुरोध है कि इस मामले में
अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने के लिए उपर वर्णित केन्द्रीय
लोक सूचना अधिकारी लोक प्राधिकारी से संपर्क करें। इसी निमन
के अन्तर्गत 14 मई 2013 को पत्र जिसा सेवा संयुक्त सचिव (सी.एस.)
गृह मंत्रालय, रन डी.सी.सी. 11 भवन जय सिंह रोड नई दिल्ली जिसके सन्दर्भ
में कोर्ट उत्तर नहीं मिला। फिर इसके सन्दर्भ में 43020/01/2013 आर.टी.आई.
भारत सरकार गृह मंत्रालय नई दिल्ली दिनांक 2/05/2013 के निर्देशों में
जिसके लिखे नियमानुसार में दिल्ली गया सेवा में संयुक्त सचिव (सी.एस.)
गृह मंत्रालय, रन डी.सी.सी. 11 भवन जय सिंह रोड, नई दिल्ली 22 अगस्त
2013 को मिलने के लिए जिसमें स्वगताधिकारी फोन नं० दिने
011-23438100 JS (CS) 01123438141-50665211) जिसमें कहा गया
की जब वो मिलने को कहेंगे तो मिलने दिया जाएगा यह फोन करने
के लिए दिया गया लेकिन उस दिन इस फोन पर बाहर से बात नहीं
बनी हुआ लेकिन दूसरे दिन बसुन्धरा दिल्ली से अपने दंत
के पही से फोन मिलवया 011-23438100 JS (CS) बात हुआ जिसमें
कहे की यहाँ आने की जरूरत जो काम हो लिखकर दे दो उस पर
मैंने 14 मई 2013 के पत्र के सन्दर्भ में बात किया जो राज्य सभा
में सदन सदस्य मनोनीत के सन्दर्भ में लिखा था जिसमें उन्होंने
कहा फाइल पेंडिंग में है फिर कुछे समय समझ में नहीं आया उसी समय
में फाइल कोताया गया अभी काम नहीं हुआ है कार्य होने पर हमारे
पत्र पर पत्र चला जावेगा।